



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042025-262611
CG-DL-E-22042025-262611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1793]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2025/वैशाख 2, 1947

No. 1793]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2025/VAISHAKA 2, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2025

का.आ. 1826(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन" (पैन: AABAN3769K) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 37 /2025/फा. सं. 300195/61/2024-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव